Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* Vol.02, No.06, January, 2024
An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal

Knowledgeable Research
ISSN 2583-6633
Vol.02, No.06, January,2024
http://knowledgeableresearch.com/

मानव अधिकारों के सशक्तीकरण में सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा का योगदान: एक विधिक अध्ययन

अरविन्द कुमार एवं सचिन कुमार
सहायक आचार्य, स्वामी शुकदेवानन्द विधि महाविद्यालय, शाहजहाँपुर

****

सार तत्व:- मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948, मानव अधिकारों को अन्तर्राष्ट्रीय सोपान प्रदत्त करने के साथ साथ उनके संहिताकरण एवं विभिन्न महत्वों को इंगित कर अन्तर्राष्ट्रीय शाान्ति व सुरक्षा को सशक्त बनाने का प्रयास करती है। मानव अधिकारों के संरक्षण में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के विभिन्न उपबन्ध तटस्थ है जो आर्थिक, सामाजिक परिषद व मानव अधिकार समिति के सहयोग से मानव अधिकारों को सुलभ, निष्कंठक सर्वमान्य बनाये रखने का हर सम्भव प्रयास करता है। मानव अधिकारों का सम्बन्ध प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता.

Keywords: मानव अधिकारों, सशक्तीकरण, विधिक, अध्ययन,

****

प्रस्तावना:-

मानव अधिकारों का प्राचीन संरक्षण वेवीलोनिया विधि, हित्ती विधि और असीरिया विधि एवं भारत की वैदिक कालीन धर्म में देखे जा सकते हैं। मानव अधिकारों की जड़े प्राचीन दैवीय विधि, नैसर्गिक विधि और प्राकृतिक अधिकारों की दार्शनिक अवधारणाओं में व्याप्त है। प्राचीन यूनान में अरस्तू का ''न्याय का सिद्धान्त'' रोम में सिसरो का ''जुस नेचुराल का सिद्धान्त'', कैथोलिक धर्म में ''प्राकृतिक कानून का सिद्धान्त'' मानव अधिकारों को पूर्ण समर्थन प्रदान करते है तथा ऐसे सभी मानकों को संरक्षण प्रदान करने की वकालत की गई है जो किसी व्यक्ति की स्वतन्त्रता, गरिमा एवं सम्मान से जुड़े हैं जिनके बिना मनुष्य का जीवन पशुवत जीवन के सिवा कुछ नहीं है। मध्यकाल में मानव अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने का श्रेय इंग्लैण्ड के सम्राट जाॅन द्वारा 15 जून 1215 को इंग्लिश सामन्तों को प्रदान किया गया, मैग्नाकार्टा (प्रथम दस्तावेज) को जाता है। 1689 में विल आॅफ राइट्स द्वारा समस्त इंग्लिश व्यक्तियों को शामिल किया गया। 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ से अधिकतर राज्यों ने ये स्वीकार कर लिया कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ न्यूनतम अधिकार धारण करता है। लोकतंत्र की अवधारणा को मजबूत बनाने

Author Name: अरविन्द कुमार एवं सचिन कुमार
Received Date: 05/01/2024
Publication Date: 29/01/2024

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* Vol.02, No.06, January, 2024
An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal

में मानव अधिकारों को संरक्षण प्रदान करना एक सशक्त प्रयास रहा है। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान असामान्य रूप से मानव अधिकार पत्रों एवं मानवतावादी सिद्धान्तों को ताख पर रखकर तानाशाही सिद्धान्तों को अपनाकर मानवीय मूल्यों का उपहास किया गया।

वर्तमान में पुनः मानवाधिकारों के संरक्षण का प्रयास संयुक्त राष्ट्र चार्टर 1945 द्वारा किया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पश्चात् आर्थिक, सामाजिक परिषद एवं मानवाधिकार आयोग को दायित्व सौंपा गया कि ये अंग मानवाधिकार संरक्षण एवं सम्वर्द्धन में सहयोग प्रदान करेंगे और मानव अधिकारों का सार्वभौमिक स्वरूप प्रदान कर उनका संहिताकरण सुनिश्चित करंेगे। आर्थिक सामाजिक परिषद द्वारा 10 दिसम्बर 1948 को महासभा में मानव अधिकारों से संकलित 30 अनुच्छेदों का एक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया जिसमें व्यक्तियों के सिविल, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों को शामिल किया गया। सर्व सम्मति से महासभा ने इस दस्तावेज को अंगीकृत किया, इसी दस्तावेज को मानव अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय सार्वभसौमिक घोषणा 1948 कहा जाता है तथा 10 दिसम्बर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, कल्याणकारी लोकतंत्र में शान्ति, सुरक्षा एवं सहयोग को सुनिश्चित करने में यह घोषणा (न्क्भ्त्) एक मार्गदर्शिका का निर्वाहन करती है। सार्वभौमिक घोषणा विधिक रूप से किसी भी राज्य पर बाध्यकारी नहीं है परन्तु विश्व के सभी राष्ट्र प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में इन अधिकारों को सम्मान देते हैं और अपनी राष्ट्रीय विधि में यथोचित स्थान देने का भी प्रयास किया है। भारतीय संविधान के भाग 3 व 4 इस घोषणा के अधिकारों से ओतप्रोत है। मानव अधिकार एक गतिशील अवधारणा है जो समय के अनुसार बदलती रहती है। न्याय तंत्र सतत् प्रयासरत रहते हैं ऐसे मानव अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने में एवं विधि के रूप में घोषित करने में। वास्तव में सार्वभौमिक घोषणा मानव अधिकारों के उत्थान एवं विकास में मील का पत्थर साबित हुई है जिसको चेरयमैन रेलवे बोर्ड एवं अन्य बनाम श्रीमती चन्द्रिका दास के मामले में सर्वाेच्च न्यायालय ने प्रेक्षित किया कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को 'नैतिक व्यवहार संहिता' के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा ने भारतीय न्यायालय में मानव अधिकारों से सम्बन्धित मामलों के निर्वचन में अत्यधिक प्रभावित किया है तथा संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने स्वीकार्य किया कि घोषणा के सिद्धान्तों को राज्यों की आन्तरिक विधि में प्रयोग करना चाहिए। सिविल तथा राजनैतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (प्ब्च्त्) एवं आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (प्ब्म्ैब्त्) और अन्तर्राष्ट्रीय विश्व मानव सम्मलेन, सार्वभौमिक घोषणा के परिणाम है जो विधिक बाध्यताओं के साथ राष्ट्रों द्वारा अनुसमर्थित किये गये हैं।

मानव अधिकार:-

मानव अधिकार सभ्य समाज की आधारशिला है। लोकतंाित्रक व्यवस्था की मजबूती, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा हेतु इनका सम्मान एवं संरक्षण अनिवार्य हो गया है। कल्याणकारी राज्य सिद्धान्त के अनुसार राज्य का पहला कत्र्तव्य है जनता का कल्याण एवं सुख की व्यवस्था करना , जिसको मानव अधिकारों को संरक्षित करके ही पूरा किया जा सकता है। मानवाधिकार सभी व्यक्तियों के लिए होते हैं चाहे उनका मूलवंश, धर्म लिंग तथा राष्ट्रीयता कुछ भी हो। ये अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक हैं क्योंकि ये मानव गरिमा एवं स्वतंत्रता के

Author Name: अरविन्द कुमार एवं सचिन कुमार
Received Date: 05/01/2024
Publication Date: 29/01/2024

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* Vol.02, No.06, January, 2024
An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal

अनुरूप हैं तथा शारीरिक, नैतिक, सामाजिक और भौतिक कल्याण के लिए सहायक हैं। सभी मानव अधिकार व्यक्ति में गरिमा और अन्तर्निहित योग्यता से प्रोदभूत होते हैं और व्यक्ति मानव अधिकार तथा मूल स्वतंत्रताओं का केन्द्रीय विषय हैं। मानव अधिकार विश्वव्यापी हैं। इनकी प्रकृति अविभाज्य एवं अन्योन्याश्रित होती है। इन अधिकारों के बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। अतएव इन अधिकारों को मूल अधिकार, आधारभूत अधिकार, अन्तर्निहित अधिकार, प्राकृतिक अधिकार और अन्य अधिकार भी कहा जाता है।

पाश्चात्य विद्वान आर.जे. विसंट के अनुसार, 'मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त हैं। इन अधिकारों का आधार मानव स्वभाव में निहित है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुसार, ''सभी मनुष्य समान अधिकार और स्वतंत्रता, जाति, वंश, भाषा, लिंग, धर्म, राजनीति या अन्य विचारधारा, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल सम्पत्ति, जन्म या अन्य स्थितियों के किसी भेदभाव के बिना स्वतः मिल जाते हैं।'' हेरोल्ड लास्की के अनुसार, 'ये अधिकार मानव जीवन की ऐसी परिस्थितयाँ हैं जिसके बिना सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता है।'' न्यायमूर्ति बी.आर. कृष्ण अय्यर के अनुसार, ''ये वे अधिकार हैं जिसके बिना व्यक्तित्व का हनन और प्रतिष्ठा का विनाश हो जाता है इन मौलिक स्वतंत्रताओं के छिन जाने या विकृति आ जाने से मानव के दैवीय गुणों का ह्रास हो जाता है।'' मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2(घ) के अनुसार, ''मानव अधिकार का अर्थ है- 'प्राण, स्वतंत्रता, समानता, एवं व्यक्ति की गरिमा जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत हो अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निविष्ठ हो तथा भारत के न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हो'' मूल अधिकार आधुनिक लोकतांत्रिक प्रवृत्ति के अनुरूप हैं, मानवाधिकार रूपी इन मूल अधिकारों को भारत का महाधिकार-पत्र उचित ही कहा गया है।

राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से विकासशील राष्ट्रों के संविधान में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के प्रावधानों का एक या दूसरे तरीके से समावेश किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय संरचना में मानव अधिकारों के महत्व को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है क्योंकि इनका सम्बन्ध नैतिक, विधिक एवं राजनीतिक है अतएव इनमें अन्तर्राष्ट्रीय संधियों में वर्णित अधिकारों एवं बाध्यताओं का क्रियान्वयन अन्तर्ग्रस्त होता है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में मानव अधिकारों को विभाजित नहीं किया गया बल्कि भिन्न-भिन्न अनुच्छेदों को इसका वर्णन किया गया है फिर भी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अन्तर्गत मानव अधिकार क्षेत्र में विकास हेतु दो भागों में प्रसंविदाओं द्वारा अलगाव दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है। प्रथमः सिविल एवं राजनैतिक अधिकारः- जिनका अभिप्राय उन अधिकारों से है जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से सम्बन्धित होते हैं। इनकी प्रकृति भिन्न-भिन्न हो सकती है उनमें विभेद करना तर्कसंगत नहीं है। द्वितीयः आर्थिक, सामाजिक एवं **सांस्कृतिक अधिकारः-** जिनका सम्बन्ध मानव के लिए जीवन की न्यूनतम आवश्कतायें उपलब्ध करवाने से है पर्याप्त भोजन, वस्त्र, आवास एवं जीवन के समुचित स्तर तथा भूख से स्वतंत्रता, काम का अधिकार सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा, पर्यावरण इत्यादि शामिल हैं।

Author Name: अरविन्द कुमार एवं सचिन कुमार
Received Date: 05/01/2024
Publication Date: 29/01/2024

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* Vol.02, No.06, January, 2024
An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal

मानव अधिकार एवं मूलभूत स्वतंत्रतायें अविभाज्य हैं, अतः आर्थिक-सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के उपभोग के बिना सिविल एवं राजनैतिक अधिकारों की पूर्ण प्राप्ति असंगत है। वियना सम्मलेन 1993 में अभिव्यक्त किया गया कि इन दोनों समूहों पर कोई भेद नहीं है- ‘‘सभी मानव अधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य, अन्योन्याश्रित एवं अन्तर्सम्बन्धित है, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को मानव अधिकारों को वैश्विक रूप से समान आधार एवं समान बल पर समान तरीके से समझना चाहिए।

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948-

संयुक्त राष्ट्र संघ ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 13(2), 55, 56 व 62 के अधीन मानवीय अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रारूप प्रस्तुत करने का दायित्व आर्थिक-सामाजिक परिषद् को दिया गया जिसके सहयोग में मानव अधिकार आयोग को स्थापित किया गया जिसकी अध्यक्ष श्रीमती ऐलोनोर रूजवेटट थीं। इनके निर्देशन में मानव अधिकारों के घोषणा पत्र का प्रारूप 10 दिसम्बर 1948 को महासभा में प्रस्तुत किया गया जिसको स्वीकार कर, महासभा ने इस महापत्र को मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा का नाम दिया और 10 दिसम्बर को प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इस घोषणा पत्र में 30 अनुच्छेद हैं जिनका सम्बन्ध सिविल, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक अधिकारों से है जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के उपबन्ध निम्नवत् हैं-

सिविल और राजनैतिक अधिकारः- सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 2 से 21 तक सिविल तथा राजनैतिक अधिकारों को शामिल कर प्रत्येक व्यक्ति को प्राण, स्वतंत्रता और दैहिक सुरक्षा , विधि के समक्ष व्यक्ति के रूप में मान्यता , ऋजु व सार्वजनिक सुनवाई तथा लोक विचारण के अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है दासता से मुक्ति, क्रूर, अमानवीय व्यवहार से सुरक्षा, एकान्तता , स्वतंत्र संचरण, विवाह, विचार, अन्तःकरण और धर्म की स्वतंत्रता , सम्मेलन और संगम की स्वतंत्रता, लोक सेवा में समान पहुँच का अधिकार, इत्यादि शामिल हैं।

आर्थिक-सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारः- सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 22 से 27 तक आर्थिक-सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों को शामिल कर सामाजिक सुरक्षा के अधिकार , काम का अधिकार , पर्याप्त जीवन स्तर , शिक्षा सांस्कृतिक एवं सामाजिक व अन्तर्राष्ट्रीय अवसरों में प्रतिभाग को सुनिश्चित किया गया है। अनुच्छेद 29 और 30 इन अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं पर कतिपय सीमाओं एवं राज्यों द्वारा इनके क्रियान्वयन को उल्लेखित किया गया है।

मानव अधिकार एवं मूलभूत स्वतंत्रताओं अविभाज्य हैं, इसलिए आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के उपभोग के बिना सिविल एवं राजनैतिक अधिकार की पूर्ण प्राप्ति असंगत है। अतः मानव अधिकार एवं मूलभूत स्वतंत्रतायें एक दूसरे की पूरक हैेे इनमें किसी प्रकार का विभेद अर्थहीन है। सार्वभौमिकता के साथ ये दोनों श्रेणियां एक दूसरे से अंतर्सम्बन्धित है।

सार्वभौमिक घोषणा की विधिक प्रास्थिति एवं महत्वः-

Author Name: अरविन्द कुमार एवं सचिन कुमार
Received Date: 05/01/2024
Publication Date: 29/01/2024

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* Vol.02, No.06, January, 2024
An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal

सार्वभौमिक घोषणा मानव अधिकारों के संरक्षण में संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख उपलब्धियों में एक है घोषणा को वर्तमान का मैग्नाकार्टा कहा जाता है। जो मानव अधिकारों की प्राप्ति के लिए एक समान मानक का प्रावधान करती है। सार्वभौमिक घोषणा न तो अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय है और ना ही अन्तर्राष्ट्रीय करार ना ही राज्यों पर बाध्यकारी, ये मात्र सिद्धान्तों की एक घोषणा है जो सहमति देने वाले राज्यों पर नैतिकता के आधार पर सुनिश्चित होती है कि वे इनका उचित सम्मान करे और देशीय विधियों द्वारा इन्हें संरक्षण प्रदान करे। घोषणा का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रगतिशील उपलब्धि के लिए कार्य करने के लिए उत्साहित कर मानव अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं के विचार को पेश करना है ये केवल संयुक्त राष्ट्र की राज्यों के लिए सिफारिश मात्र है फिर भी इसके प्रावधान अन्तर्राष्ट्रीय विधि की रूढ़िगत विधि से विकसित हुए हैं। अतः सभी राज्यों पर नैतिक रूप से आवद्धकर है। प्रथम विश्व मानव सम्मेलन (तेहरान सम्मेलन 1968) में अभिकथित कियिा गया कि घोषणा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के लिए बाध्यता गठित करता है क्योंकि इसमें ''अवश्य पालनीय सिद्धान्त'' का गुण विद्यमान है। घोषणा का सबसे बड़ा महत्व इस तथ्य में माना जा सकता है कि चार्टर के प्रावधानों के निर्वचन के लिए, महासभा द्वारा प्रस्तुत प्राधिकारिक दिशा निर्देश का काम करती है जहाँ घोषणा के विधिक चरित्र को अस्वीकार किया जाता है वही इसके अप्रत्यक्ष विधिक प्राधिकार को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए इसे अक्सर राष्ट्रों की विधि का भाग माना जाता है।

मानवाधिकार के सिद्धान्तों की अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक स्वीकृति प्राप्त है मानवाधिकार के विभिन्न आयामों के प्रति सर्वानुमति का अभाव होने पर भी बहुत ही व्यापक रूप से स्वीकृत और परस्पर सम्बन्धित अभिधारणायें या आधार तत्व है जो मानव अधिकारों को परिभाषित करने में सहायता करते हैं। मानव अधिकार एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज का अपरिहार्य शर्त या मानव समाज के अस्तित्व का एक अपरिहार्य तथ्य है। जो मनुष्य को भय और भूखमुक्त जीवन प्रदत्त करता है। सार्वभौमिक घोषणा के प्रावधानों को विधिक स्वरूप प्रदान करने की लगातार महासभा को सिफारिशें की गई उन प्रतिवेदनों के आधार पर एक कार्यकारी समूह का गठन किया गया, जिनसने इन उपबन्धों के आधार पर मानव अधिकारों पर दो प्रसंविदाओं के प्रारूपों को तैयार किया और 16 दिसम्बर 1966 को ये दोनों प्रसंविदायें महासभा द्वारा अंगीकार की गई जो प्रायः सिविल एवं राजनैतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (प्ब्च्त्) और आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (प्ब्म्ैब्त्) के नाम से जानी जाती है। इन दोनों प्रसंविदाओं द्वारा मानव अधिकारों एवं मूलभूत स्वतंत्रताओं को विधिक स्वरूप प्रदान करने का अटूट प्रयास किया गया है। इसके साथ-साथ तेहरान सम्मेलन 1968 एवं वियना सम्मेलन 1993 द्वारा मानव अधिकारों के संरक्षण और सम्बर्द्धन हेतु कार्य योजना एवं प्रतिबध्यता को दोहराया गया है।

सार्वभौमिक घोषणा एवं भारत का संविधानः-

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा ने सभी राष्ट्रों के व्यक्तियों को गहराई से प्रभावित किया है इसमें सभी व्यक्तियों और राष्ट्रों के लिए उपलब्धि का सामान्य मानक निहित है। भारत की मूल विधि अर्थात् संविधान भी इससे अछूता नहीं है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को परिणित हुआ, जिसकी प्रस्तावना सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा में अन्तनिर्हित मूल्यों को सुसंगत मान्यता देती है तथा संविधान के भाग 3 और भाग 4 जो मूल अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उपबन्ध उच्चतर मानव अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के

Author Name: अरविन्द कुमार एवं सचिन कुमार
Received Date: 05/01/2024
Publication Date: 29/01/2024

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* Vol.02, No.06, January, 2024
An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal

लिए प्रयासरत है। भारतीय संविधान घोषणा को सम्यक् मान्यता प्रदान करता है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा विधिक रूप् से आबद्धकर लिखित नहीं हो सकती किन्तु यह दर्शित करती है कैसे भारतीय संविधान इन अधिकारों को आत्मसात् करता है। न्यायिक संस्थानों द्वारा संविधान का निर्वचन घोषणा के अनुरूप प्रभावित हुआ है।

भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समता एवं व्यक्ति की गरिमा व बन्धुता के साथ समाजवादी व लोकतंत्रात्मक राष्ट्र की प्रतिमूर्ति को दर्शित करती है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अधीन मूल अधिकार यह गारंटी देते हैं किसी के साथ भी अन्याय या शोषण न हो। इसलिए विधि के समक्ष समानता, भेदभाव का प्रतिषेध, अवसर की समानता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शान्तिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता, संघ निर्माण, संचरण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, दासता एवं बलात्श्रम से संरक्षण, अन्तःकरण एवं धर्म की स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रर्वतन हेतु उपबन्धों का प्रावधान किया गया है।

भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्तों के तहत मानव के सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों को शामिल किया गया है। प्रायः ये अधिकार बाध्यकारी प्रकृति के नहीं है फिर भी कल्याणकारी राज्य में यह अति महत्वपूर्ण है। सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, कार्य करने और नियोजन के चयन का अधिकार, पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार, सामाजिक और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अधिकार विभिन्न उपबन्धों में शामिल है। सामाजिक एवं आर्थिक असमानता आज हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है पराधीनता का दंश झेलने के बाद हमारे संविधान निर्मातागण इन अधिकारों के प्रति काफी सजग थे और उन्होंने राष्ट्रीय चेतना ओर संसाधनों को ध्यान में रखकर इन्हें यथोचित उपबन्धों में शामिल करने का सफल प्रयास किया है। सार्वभौमिक घोषणा ने बहुत से देशों की संवैधानिक विधि में जगह बनायी है भारत भी इससे अछूता नहीं है। वह इसके सापेक्ष विधि लाने में तत्पर है।

सार्वभौमिक घोषणा एवं भारतीय न्यायिक दृष्टिकोणः-

भारतीय संविधान प्रायः एक प्रगतिशील दस्तावेज है जो मानव अधिकारों के विधि शास्त्र को अंगीभूत करता है ये उन आदर्श मूल्यों को सुरक्षित करता है जो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और दोनों प्रसंविदाओं में सत्रिविष्ठ है। भारतीय न्याय पालिका ने सार्वभौमिक घोषणा के प्रावधानों को सकारात्मक कार्यवाही के रूप में आत्मसात किया है क्योंकि संविधान द्वारा न्यायालय को नागरिकों के अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया है ये संरक्षक की भांति सदैव तत्परता से मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने का प्रयास करते है। सार्वभौमिक घोषणा को सर्वाच्च न्यायालय ने नैतिक व्यवहार संहिता के रूप में मान्यता देकर संविधान के निर्वचनों में इसको शामिल किया है। भारत में न्यायपालिका, मानव अधिकार एवं व्यक्ति के बीच खड़े प्रहरी है जो व्यक्ति के मानव अधिकारों की रक्षा राज्य के अन्यायोचित हस्तक्षेप के विरुद्ध करते है।

Author Name: अरविन्द कुमार एवं सचिन कुमार
Received Date: 05/01/2024
Publication Date: 29/01/2024

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* Vol.02, No.06, January, 2024
An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal

मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय तथा 226 के अधीन उच्च न्यायालय को तटस्थ करता है कि वह प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु समुचित कार्यवाही करे जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का अतिलंघन हो। इन उपबन्धों को संविधान द्वारा लोकतांत्रिक भवन की आधारशिला कहा गया है। जब कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे न्यायालय आता है तो इन अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित निर्देश या आदेश या रिट जिसके अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा एवं उत्प्रेषण रिटं जारी कर सकता है।

मानव अधिकार के सन्दर्भ में आर्थिक और सामाजिक अधिकार प्रवर्तनीय नहीं है प्रायः इन्हें प्रभावी बनाने वाली कोई विधि यदि संविधान के भाग 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करती है तो न्यायालय अनुच्छेद 13 के अधीन उक्त विधि को न्यून या शून्य घोषित कर सकता है। न्यायपालिका न्यायिक पुनर्विलोकन द्वारा न केवल विवादों का निस्तारण करते हैं अपितु संविधान का, संविधियों का, मानवाधिकार सम्बन्धी प्रावधानों, पूर्व निर्णयों का, अर्थान्वयन और निवर्चन करते हैं जिससे मानवाधिकारों और वैयक्तिक स्वतंत्रताओं के आयाम को विस्तारित किया जा सके। विधिशास्त्री हैमिल्टन न्यायाधीशों को ‘‘विधायी अतिक्रमण के विरुद्ध सीमित संविधान की प्राचीर मानते हैं।’’ सामाजिक कार्यकर्ताओं और लोकहितवाद कारियों की पहल से भारतीय न्यायपालिका नव प्रवर्तक उपचारिक उपयोग का प्रयोग कर रही है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के सम्बन्ध में ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य में की गई संकुचित अवधारणा तथा लोकस स्टडी के सिद्धान्त की कट्टरता को कम करने का प्रयास मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई फैजुतला भाई के मामले में न्यायाधीश के. अय्यर द्वारा किया गया जिसकी पुष्टि हुसैनारा खातून और अन्य बनाम गृह सचिव बिहार के मामले में विचाराधीन कैदियों की रिहाई आदेश न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती द्वारा सुलभ हुआ। तदपरान्त अनेक ऐसे आयाम गढ़े गये जो मानव अधिकार के संरक्षण में महत्वपूर्ण है जिनमें प्राण एवं दैहिक अधिकार की स्वतंत्रता , एकान्तता , भ्रूण का अधिकार , त्वरित विचारण , स्वच्छ पर्यावरण , विधिक सहायता का अधिकार , शिक्षा का अधिकार और समान कार्य के लिए समान वेतन के प्रावधानों को सुनिश्चित किया गया। हाल ही में ये उच्चतम न्यायालय ने लैंगिक असमानता और निजता पर कई ऐसे निर्णय दिये जिसे सामाजिक परिवर्तन की पहल में मील का पत्थर कहा जा सकता है जिसमें समलैंगिकता और यौन अपराधों को संवैधानिक घोषित किया गया। शबरी माला मन्दिर मामले में महिलाओं का प्रवेश का अधिकार, भविष्य के मजबूत और भेदभाव रहित भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है जो सम्मानपूर्वक जीने के अधिकार तथा गरिमामयी व्यक्तित्व व न्यायपालिका के प्रति नागरिकों की आशा आस्था और दायित्व की मजबूत बनाता है।

उपसंहारः-

मानवाधिकार, अब एक राजनैतिक और नैतिक संकल्पना ही नहीं है बल्कि एक विधिक संकल्पना भी है। घोषणा की 50वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री कोफी अन्नान ने ठीक ही कहा है कि ‘‘यह मानव अधिकार की सार्वभौमिकता है जो उन्हें उनकी शक्ति प्रदान करती है यह उन्हें सीमाओं को लांघने, दीवालों पर चढ़ने, किसी बल की अवज्ञा करने की शक्ति प्रदान करता है।’’ असमानता, भेदभाव एवं दैहिक और राजनैतिक आर्थिक दासता के विरुद्ध समानता एवं दैहिक स्वतंत्रता की उदार अवधारणाओं ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा

Author Name: अरविन्द कुमार एवं सचिन कुमार
Received Date: 05/01/2024
Publication Date: 29/01/2024

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* Vol.02, No.06, January, 2024
An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal

को उत्साहित किया है। जो भविष्य में मानव अधिकारों के संरक्षण में आधार स्तम्भ के रूप में प्रकाशमान रहेगा। न्यायमूर्ति एम. हलीम सार्वभौमिक घोषणा को मानव जाति के लिए व्यापक रूप से मैग्नाकार्टा के रूप में स्वीकार करते हैं। केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य में उच्चतम न्यायालय से सम्परीक्षण किया और कहा कि मूल अधिकार कोई तटस्थ अन्नतवस्तु नहीं है ये खाली घड़े के समान है जिसके आने वाली पीढ़ियाँ अपनी परिस्थितियों के अनुसार भरते रहेंगे। मानवीय प्रगति और उत्तरोत्तर विकास के साथ मानवाधिकारों के क्षेत्र का स्वरूप भी बड़ा व्यापक होता जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्मलेनों, मानवाधिकार संगठनों और न्यायपालिका के निर्णयों ने मानवाधिकारों की विस्तृत व्याख्या की है जिससे बाल अधिकार, महिलाओं के अधिकार, विकास का अधिकार, पर्यावरण सुरक्षा का अधिकार और अपराध से पीड़ित को क्षतिपूर्ति का अधिकार इत्यादि शामिल है। मानव की प्रसन्नता एवं खुशहाली के साथ ही मानव की पूर्णता सम्बन्धित है जिसके बिना आदर्श मानव जीवन की कल्पना सम्भव नहीं है। मानवाधिकार का लक्ष्य समूची मानवता का हित करना है, मानवता की सेवा ही मानव अधिकारों का धर्म है। जिनके बिना ना तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और न ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। वस्तुतः अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा मानव अधिकारों के संरक्षण एवं सम्बर्द्धन में पूर्णतः दृढ़ संकल्पित है।

संदर्भ ग्रंथ-सूची

- डा. एच.ओ. अग्रवाल, 'मानव अधिकार' षष्ठ संस्करण, 2014, इलाहाबादः सेन्ट्रल ला पब्लिकेशन्स।
- डा. टी.पी. त्रिपाठी, 'मानव अधिकार', पंचम् संस्करण, 2013, इलाहाबादः ला एजेन्सी पब्लिकेशन्स।
- दिलीप जाखड़, 'मानवाधिकार' संस्करण 2008, जयपुरः यूनिवर्सिटी बुक हाउस (प्रा०) लि०।
- डा. एस.के. कपूर, 'अन्तर्राष्ट्रीय विधि और मानव अधिकार', इलाहाबादः सेंट्रल ला पब्लिकेशन्स।
- डा. एस.ओ. अग्रवाल, 'अन्तर्राष्ट्रीय विधि और मानव अधिकार', इलाहाबादः सेंट्रल ला पब्लिकेशन्स।
- जे.एन. पाण्डेय, 'भारत का संविधान', इलाहाबादः सेंट्रल ला एजेन्सी।
- वी.एन. शुक्ला, 'भारत का संविधान' 14वां संस्करण, 2022, ईस्टर्न बुक कम्पनी।
- द डोमेस्टिक अप्लीकेशन आफ इण्टरनेशनल ह्यूमैन राइट्स नार्मस इन डेवलपिंग ह्यूमैन राइट्स ज्युरिसप्रूडेन्स 1988।
- डा. मुरलीधर चतुर्वेदी, 'भारत का संविधान'।
- ए.के. गौतम, 'ह्यूमैन राइट्स एण्ड जैस्टिक सिस्टम्'।

Newspapers:-

- Times of India
- The Hindu

Author Name: अरविन्द कुमार एवं सचिन कुमार
Received Date: 05/01/2024
Publication Date: 29/01/2024

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* Vol.02, No.06, January, 2024
An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal

- Hindustan Times
- Political Law Times
- Cronical
- Yojana

Websites:-

1. www.india.com
2. www.timesofindia.com
3. www.drishtiias.com

Author Name: अरविन्द कुमार एवं सचिन कुमार
Received Date: 05/01/2024
Publication Date: 29/01/2024